circumstances leading to the death of Raghubir Singh. The House would like to know whether any action has been taken against the Police Officers for their inhuman conduct.

(ix) COMPULSORY PASSING IN ENGLISH SUBJECT FOR ADMISSION TO 10+2 COURSE IN DELHI

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, दिल्ली में हजारों लड़के दसवीं कक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन ग्यारहवीं कक्षा में उनका नामांकन इसलिए नहीं हो रहा है कि वे दसवी कक्षा में अंग्रेजी विषय में पास नही है जिस विद्यालय से छात्रों ने दसवीं कक्षा पास की है, उस विद्यालय में भी अंग्रेजी में पास न होने के कारण उनका नामांकन ग्यारहवी कक्षा में नही हो रहा है फलस्वरूप हजारों छात्रों का भविष्य प्रतिवर्ष अंधकारमय होता है दिल्ली प्रशासन के नियम के अनुसार अंग्रेजी में पास करना अनिवार्य है यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में फैल है, तो उसका नामांकन ग्यारहवीं कक्षा में मिल जाता है, लेकिन आश्चर्य है कि अंग्रेजी में फैल होने पर नामांकन नहीं होता ।

यह खेद का विषय है कि आजादी के बत्तीस वर्षों के बाद भी हम अंग्रेजी के इतने गुलाम है कि बिना अंग्रेजी के काम चल ही नहीं सकता । संविधान-निर्माताओं का मत था कि आजादी के कुछ ही वर्षों के अन्दर देश भाषा के मामले में स्वावलम्बी हो जायगा और इस लिए संविधान निर्माताओं ने अधिक से अधिक 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा की अनुमति संविधान की धारा 343 के अनुसार दी थी लेकिन घटने के बजाय अंग्रेजी बढ़ती ही गई इसके बाद राजभाषा अधिनियम बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी मुट्ठी भर नौकरशाह एवं अंग्रेजी-पोषक लोगों के कारण देशी भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है ।

भाषा का सम्बन्ध पेट और देश दोनों से जुड़ा है जो देश अपनी भाषा के मामले में गुलाम है, वह आर्थिक क्षेत्र में भी गुलाम है और उसकी राष्ट्रीयता भी खतरे में रहती है ।

इस देश में विदेशी आये, अंग्रेजी आयें, कभी नहीं पूछा कि हमें अंग्रेजी चाहिए या नहीं उन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजी थोप दी और आजादी के 32 वर्षों के बाद भी हम पूछ रहे हैं कि इस देश में देशी भाषा चले या अंग्रेजी चले यह देश के लिए शर्म की बात है। इसमें न तो दक्षिण और उत्तर का झगड़ा है, न क्षेत्रीय भाषा को अपनाने का सीधा समाधान है कि अंग्रेजी को इस देश से जाना चाहिए । यदि सरकार चाहे. तो उत्तर भारत में एक दक्षिण की भाषा को और दक्षिण भारत में हिन्दी को अनिवार्य कर दे लेकिन वह अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करे ।

अतः भारत सरकार से मांग है कि वह शिक्षण संस्थानों से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करें तथा सरकारी कार्यालयो में राजभाषा अधिनियम का कड़ाई से पालन कराये ।

14.10 hrs.

FINANCE (NO. 2) BILL, 1980—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Further consideration of the following motion moved by Shri R. Venkataraman on the 24th July, 1980, namely:—

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1980-81, be taken into consideration."

Now, Mr. A. T. Patil.

SHRI A. T. PATIL (Kolaba): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Finance Bill (No. 2) of 1980 which is intended to give effect to the financial proposals of the Government of India and to bring into operation the proposals that were made for resource mobilisation. This, to my mind, is the last stage of dicussion on the budget. The first part dealt with the allocations of funds to different sectors of Govt's activities and this part refers to the mobilisation of the